

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 120/2024

उनवान

1. श्रीमती मांगी बाई पत्नि स्व० श्री जीतू अहीर नि० तख्तापुरा, तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

---प्रार्थी

बनाम

1. मांगु उर्फ मांगीलाल पिता श्री रता अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
2. नारायण पिता मांगु उर्फ मांगीलाल अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3. देबवील पिता मांगु उर्फ मांगीलाल अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
4. शंकर पिता मांगु उर्फ मांगीलाल अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
5. नारायण पिता श्री उदा अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
6. लक्ष्मण पिता मेघा अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
7. हजारी पिता कजोड अहीर नि० तख्तापुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 26.09.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.08.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भैसाकुण्डल प०ह० देवली भू०अ०नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 367 के आ.न. 288 रकबा 0.4046 है०, आ.न. 292 रकबा 0.3161 है०, कुल किता 02 रकबा 0.7207 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम भैसाकुण्डल प०ह० देवली भू०अ०नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 367 के आ.न. 288 रकबा 0.4046 है०, आ.न. 292 रकबा 0.3161 है०, कुल किता 02 रकबा 0.7207 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)